क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन (वितीय वर्ष 2012–13 के सन्दर्भ में)

**डॉ. एस.के.शर्मा
*संजय कुमार छीपा

विहंगावलोकनः

ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण बढाने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने तथा 'सहकारी ऋण संरचना' का पूरक माध्यम बनाने के उद्देश्य से 26 सितंबर 1975 को घोषित अध्यादेश तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम,1976 के प्रावधानों का तहत 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षेग्रा बैंकों) की स्थापना हुई।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंश पूँजी में भारत सरकार ने 50 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार ने 15 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कों प्रोयोजित करने वाले बैंक ने 35 प्रतिशत का अंशदान किया । क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का परिचालन क्षेत्र किसी राज्य के कुछ अधिसूचित जिलों तक ही सीमित होता हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख रूप से ग्रामीण/अर्ध–शहरी क्षैत्रों से जमा राशियॉ संग्रहीत करते हैं तथा प्रमुखतः छोटे और सीमांत किसानों,कृषि श्रमिकों, ग्रामीण काश्तकारों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्य खंडो को ऋण प्रदान करतें हैं।

वर्ष 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ''बैकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण का प्रवाह'' विषय पर डॉ. वी.एस. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसने ग्रामीण ऋण प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रासंगिकता की जांच की और उन्हें व्यवहार्य बनाने के लिए विकल्प दिए। डॉ. व्यास समिति की सिफारिशों की एक सिफारिश के रूप में वर्ष 2005 में एक राज्य के भीतर प्रायोंजक बैंक–वार समामेलन का पहला चरण शुरू की गई और वर्ष 2012 में दुसरे चरण में राज्य के भीतर सभी प्रायोजक बैंको के लिए था।

बेहतर बुनियादी ढांचा, कंप्यूटरीकृत, अनुभवी कर्मियों, साझा प्रचार और विपणन प्रयासों आदि के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से समामेलन करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की संरचनात्मक समेकन की प्रकिया शुरू की है। परिचालन क्षैत्र बढने, उच्च मूल्यों पर क्रेडिट एक्सपोजर सीमा में वृद्वि और बैंकिग कार्यकलापों के विविधीकरण का लाभ क्षैत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुआ हैं। समामेलन के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 घटकर 31 मार्च 2013 को 64 रह गई । देश के 635 जिलों में कार्यरत क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं की संख्या बढकर 31 मार्च 2013 को 17856 हो गई।

❖ वर्ष 2012–13 (01 अप्रैल 2012 31 मार्च 2013 तक) के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का कार्य निष्पादन

1. निधियों के स्रोतः–

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के निधियों के स्रोतो में उनकी स्वाधिकृत निधियाँ, जमाराशियाँ, नाबार्ड, प्रायोजक बैक से उधार और सिडबी और राष्टीय आवास बैक जैसे अन्य स्रोतो से उधार शामिल है।

➢ स्वाधिकृत निधियॉ

क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की स्वाधिकृत निधियों में अंश पूँजी, अंशधारकों से प्राप्त अंश पूँजी जमाराशियॉ और प्रारक्षित निधियाँ शामिल है। स्वाधिकृत निधियाँ 31 मार्च 2012 के रू 164612 करोड. से बढकर 31 मार्च 2013 को रू19304 करोड हो गई इस प्रकार इनमें 13.0 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई। स्वाधिकृत निधियों में रू 2842 करोड की यह वृद्वि प्रमुख रूप से लाभ

अर्जित करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों कें प्रारक्षित निधि में वृद्वि के कारण हुई कुल स्वाधिकृत निधियों में अंश पूँजी और अंश पूँजी राशियाँ दोनो मिलकर रू 6174 करोड थी जबकि शेष रू 13130 करोड की राशि प्रारक्षित निधियाँ थी।

2. क्षेत्रीय ग्रमीण बैकों का पुनः पूंजीकरणः–

(I) वर्ष 2010 में चक्रवर्ती समिति ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की और 82 में से 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण की सिफारिश की ताकि 31 मार्च 2012 तक उनके सीआरएआर को 9 प्रतिशत के स्तर तक लाकर सुदृढ़ किया जा सके । समिति के अनुसार शेष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सीआरएआर का वाछिंत स्तर प्राप्त करने में स्वयं सक्षम थे । समिति की सिफाारिशो को स्वीकार करते हुए भारत सरकार और अन्य शेयर धारकों ने रू 22000 करोड़ की निधियों में वृद्वि करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनः पंजीकृत करने का निर्णय लिया । शेयरधारक–वार अनुपात (भारत सरकार / प्रायोजक बैक / राज्य सरकार) क्रमशः 50:35:15 है।

(ii) 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 2 तक 20 राज्यों के 37 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रू 2515 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी हैं। जारी राशि मे भारत सरकार का हिस्सा रू 1003.92 करोड़ ,राज्य सरकार का हिस्सा रू 303.59 करोड़ और प्रायोजक बैंकों का हिस्सा रू 708.35 करोड़ हैं 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के सबंध (ओडिशा में 5,मध्य प्रदेश 3, उतराखंड में 2, झारखण्ड में 2, छतीसगढ में 2, बिहार में 2, महाराष्ट में 2 पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 5 और असम, अरूणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, त्रिपुरा, जम्मु एवं कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और संघ शासित राज्य पुडुचेरी प्रत्येक में एक–एक) पुनर्पुजीकरण का काम पूरा हो चुका है। मणिपुर ग्रामीण बैक के संबंध में भारत सरकार का रू 7.99 करोड़ का हिस्सा लंबित हैं मिजोरम राज्य सरकार ने मिजोरम ग्रामीण बैक को अपने हिस्से मे से आंशिक रूप से रू 0.50 करोड़ जारी कियें हैं और रू 2.80 करोड़ की राशि लंबित हैं, दो राज्य सरकारो ने अपने राज्यो में सक्रिय तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अर्थात उतरप्रदेश (2 क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक), और जम्मू और कश्मीर (1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक) कोइ राशि जारी नही की हैं। 35 पुरी तरह पुनः पूंजीकृत 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात केन्द्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक और मिजोरम ग्रामीण बैक ने 31 / 03 / 2013 की स्थिति के अनुसार 9 प्रतिशत के सीआरएआर के लक्ष्य को हासिल नहीं किया है।

3. जमाराशियाँः–

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियों में 13.48 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई ये जमाराशियॉ रू 186336 करोड़ से बढाकर रू 211458 करोड़ हो गई ऐसे 33 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी प्रत्येक की जमाराशियॉ रू 3000 करोड से अधिक है।

4. उधारः–

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लिए गए उधार में 26.34 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई। ये उधार 31 मार्च 2012 को रू 38268 करोड़ हो गए बकाया सकल ऋण की तुलना में उधार का हिस्सा 27.37 प्रतिशत हैं। जबकि पिछले वर्ष यह 26.02 प्रतिशत था।

5. निधियों का उपयोगः–

(I) निवेशः–

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किए गए निवेशों में 15.32 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज हुई और यें निवेश 31 मार्च 2012 के रू 95975 करोड़ से बढाकर 31 मार्च 2013 को रू 110683 करोड़ हो गए। एक और जहां सांवधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)

करोड़ रही। हाल के कुछ वर्षो में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निवेश जमा अनुपात (आईडीआर) क्रमिक रूप से घटते–घटते 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 52.34 प्रतिशत हो गया जबकि 31 मार्च 2001 तक यह 72 प्रतिशत था।

(ii) ऋण और अग्रिमः–

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान 20.15 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज करते हुए 31 मार्च 2013 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बकाया ऋणो की राशि रू 139837 करोड़ हो गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि रू 23452 करोड़ थी

(iii) जारी ऋणः–

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी ऋण की कुल राशि रू 102162 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह राशि रू 82588 करोड़ थी। इस प्रकार जारी कुल ऋणों मे वर्ष के दौरान 23.78 प्रतिशत की वृद्वि हुई।

6. कार्य परिणामः–

(I) लाभप्रदताः–

वर्ष 2012–2013 में 63 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (64 क्षे. ग्रा. बैंकों में से) नें रू 3281 करोड़ (करपूर्व) का लाभ अर्जित किया । पिछले वर्ष की तुलना में यह लाभ अधिक रहा रू 896 करोड के आयकर का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ की राशि रू 2385 करोड़ रही। शेष एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैक नागालैण्ड ग्रामीण बैक को रू 321 करोड़ का घाटा हुआ।

(ii) संचित हानियाँ :–

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार 64 में सें 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संचित हानियाँ बनी रहीं तथा संचित हानियों की राशि रू 1012 करोड़ रही जबकि 31 मार्च 2012 को यह राशि रू 1332 करोड़ थी । वर्ष के दौरान संचित हानियों में रू 321 करोड़ की कमी आई।

(iii) अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) :–

31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियाँ रू 7907 करोड रही। वर्ष दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की निवल अनर्जक आस्तियॉ 2.98 प्रतिशत से बढकर 3.40 प्रतिशत हो गई। आंकडों से यह पता चलता है कि 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों का 2 प्रतिशत से कम रहा जबकि 32 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत 5 प्रतिशत से अधिक था।

(iv) वसूलीः–

वर्ष 2011–12 के दौरान वसूली के प्रतिशत में मामूली सी कमी आई। 30 जून 2011 की स्थिति के अनुसार वसूली का प्रतिशत 81.60 प्रतिशत था, जबकि 30 जून 2012 को यह 80.31 प्रतिशत रह गया । तथापि कुल अतिदेयों की राशि में रू 1802 करोड़ की वृद्वि हुई और 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार यह राशि रू 13567 करोड़ हो गई।

(V) ऋण जमा अनुपातः–

हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल ऋण जमा अनुपात में वृद्वि हुई है। 31मार्च 2002 को इनका कुल ऋण जमा अनुपात 41.83 प्रतिशत था, जो कि बढकर 31 मार्च 2013 को 66.13 प्रतिशत हो गया। नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैको का ऋण

(vi) शाखा और स्टाफ की उत्पादकताः–

9.89 प्रतिशत की वृद्वि दर दर्ज करते हुए वर्ष 2012–13 के दौरान शाखा उत्पादकता बढकर रू 19.67 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान यह 17.90 करोड़ थी । इसी प्रकार वर्ष 2012–13 के दौरान स्टाफ उत्पादकता भी बढकर रू 4.62 करोड़ हो गई, जबकि वर्ष 2011–12 के दौरान यह 4.07 करोड़ थी । इस प्रकार स्टाफ उत्पादकता में 13.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7. वर्ष के दौरान किए गए नए कार्यः–

(I) कोर बैंकिग सोल्यूशन (सीबीएस) लागू होने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मानव संसाधन नीति पर समितिः–

भारत सरकार के 02 अगस्त 2012 के आदेश सं. एफ सं. 7/7/2012– आरआरबी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सीबीएस के कार्यान्वयन और अन्य प्रौद्यौगिकियों के उन्नयन के बाद श्रम–शक्ति / स्टाफिंग पैटर्न के आकलन के लिए मौजूदा मानव संसाधन नीति पर फिर से विचार करने हेतु नाबार्ड में निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के लिए एक समिति गठित की गई।

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैको में प्रोद्योगिकियों के उन्नयन का आकलन।

(ख) प्रधान कार्यालय, नियत्रंक कार्यालय, शाखाओं इत्यादि के लिए अपेक्षित श्रम शक्ति का आकलन और स्टाफिंग पैटर्न।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के कौशल उन्नयन संबंधी आवश्यकताएं।

समिति ने भारत सरकार के 02 अगस्त 2012 के आदेश में निहित विचारार्थ विषयों को शामिल करते हुए 23 नवम्बर 2012 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उसके बाद भारत सरकार ने 13 दिसम्बर 2012 के आदेश सं. एफ सं. 7/7/2012–आरआरबी द्वारा समिति का कार्यकाल 30 जून 2013 तक बढाए जाने के निर्णय की सूचना दी और समिति के विचारार्थ विषयों को संशोधित करते हुए निम्नलिखित को शामिल किया।

(क) सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करना और

(ख) सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी

संशोधित विचारार्थ विषयों के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक–वार समय सीमा को अंतिम रूप दिया। समिति की रिपोर्ट का दूसरा भाग भारत सरकार को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पेंशनः–

भारत सरकार के आदेश पर अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की तर्ज पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पेंशन योजना और मॉडल पेंशन विनियमावली का ड्राफ्ट मॉडल तैयार करने के लिए नाबार्ड द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, विधि विभाग, नाबार्ड की अध्यक्षता में एक कार्य दल गठित किया गया था । कार्य दल द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पेंशन योजना और पेंशन विनियमावली मॉडल भारत सरकार को 21/11/2012 को विचारार्थ भेजी गई।

(iii) समामेलन के पश्चात् क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की परस्पर वरिष्ठता तय करने के लिए समितिः–

भारत सरकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार समामेलन के बाद की स्थिति में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की परस्पर वरिष्ठता तय करने हेतु मानदंड निर्धारित करने के लिए नाबार्ड द्वारा डॉ. आर एम कुम्मूर, मुख्य महाप्रबंधक, संस्थागत विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। जिसमें समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 11 नए प्रायोजक बैंकों के सदस्य थे। समिति की पहली बैठक नाबार्ड के प्रधान कार्यालय में 23 जनवरी 2013 को आयोजित की गई, जिसमें ग्राहक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विद्यमान स्थिति और नवगठित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पदोन्नति प्रक्रिया को ध्यान में रखकर इस मुद्दे पर प्रायोजक बैंकों के अभिमतो पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक मे एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया, सेंटल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर सदस्य हौगे। उसमें शामिल कानूनी मुद्दो को ध्यान में रखते हुए समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के परस्पर वरिष्ठता तय करने के लिए नियम/दिशा निर्देश तैयार करेगी। उप समिति ने मार्च 2013 माह के दौरान अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की (समिति द्वारा अंतिम रूप में प्रस्तुत मसौदा दिशा निर्देश अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजे गए है।

(iv) वित्तीय समावेशनः–

जैसा कि भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बडी संख्या में 'अल्प सुविधायुक्त खाते' (नो फ्रिल्स खाते) खोल कर और सामान्य क्रेडिट कार्ड (जनरल क्रेडिट कार्ड–जीसीसी) के अंतर्गत कार्डधारको को वितीय सहायता प्रदान कर एक समूह के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक मजबूत मध्यस्थ के रूप में उभरकर सामने आए है। 31 मार्च 2013 तक अल्प सुविधायुक्त खातों की संख्या 319.59 लाख थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की शाखाओं की संख्या बढकर 31 मार्च 2013 को 17856 हो गई जबकि 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार यह 16909 थी।

***प्राचार्य**

एस. के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीकर

****शोध छात्र**

आर्थिक प्रशासन एंव वितीय प्रबन्ध विभाग

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

स्रोतः–

1. नाबार्ड वार्षिक प्रतिवेदन 2012–2013
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैक वार्षिक रिर्पोट 2012–2013